(भारत के राजपत्र असाधारण भाग– II, खण्ड–3, उप–खण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय

**अधिसूचना सं० 27 /2015–2020**

**नई दिल्ली, दिनांकः– 7 सितम्बर, 2017**

**विषयः खांड हेतु टीआरक्यू : आईटीसी (एचएस), 2017–अनुसूची–1(आयात नीति) के अध्याय 17 के एक्जिम कोड 170114 के तहत वर्गीकृत खांड की आयात नीति में संशोधन।**

**सा० आ० (अ) :** समय–समय पर यथासंशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैराग्राफ 1.02 और 2.01 के साथ पठित, विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा आईटीसी (एचएस), 2017–अनुसूची–1 (आयात नीति) के अध्याय 17 के एक्जिम कोड 170114 के तहत वर्गीकृत 'खांड' के लिए आयात नीति की शर्त को निम्नानुसार शामिल करती है:–

| एक्जिम कोड | मद विवरण | नीति | मौजूदा नीतिगत शर्तें | संशोधित नीतिगत शर्त |
|---|---|---|---|---|
| 170114 | खांड | मुक्त | -- | **एक्जिम कोड 170114 के तहत मदों का आयात "मुक्त" है। तथापि, 3 लाख मी० ट० तक खांड का आयात निम्नलिखित निर्धारित शर्तों के अनुसार (25% सीमाशुल्क की दर पर) प्रशुल्क दर कोटा स्कीम के अधीन है।** |

2. (i) एक्जिम कोड 170114 के तहत खांड का 3 लाख मी० ट० आयात नीचे दी गई तालिका के अनुसार दक्षिणी राज्यों के निम्नलिखित पत्तनों और डीजीएफटी के तद्नुरुपी क्षेत्रीय प्राधिकारियों के माध्यम से 25% की प्रशुल्क दर पर मिल मालिकों/परिशोधन करने वालों द्वारा अनुमत है।

| पतन का नाम (केवल निम्नलिखित पत्तनों के माध्यम से आयात की अनुमति है) | आवेदन डीजीएफटी के क्षेत्रीय प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाए |
|---|---|
| (i) तूतीकोरिन, और (ii) चेन्नई (तमिलनाडु)<br>(iii) कराईकल (पुडुचेरी)<br>(iv) मैंगलोर (कर्नाटक)<br>(v) काकीनाडा, (vi) विशाखापट्टनम और<br>(vii) गंगावरम (आंध्र प्रदेश) | • तूतीकोरिन, चेन्नई और कराईकल पत्तनों के माध्यम से आयात करने वाले आवेदकों को अपना आवेदन **क्षेत्रीय प्राधिकारी, चेन्नई** के समक्ष प्रस्तुत करना है;<br>• मैंगलोर के माध्यम से आयात के लिए आवेदक अपना आवेदन **क्षेत्रीय प्राधिकारी, बेंगलुरु** को प्रस्तुत कर सकते हैं; और<br>• काकीनाडा, विशाखापट्टनम और गंगावरम के माध्यम से आयात के लिए आवेदक अपना आवेदन, **क्षेत्रीय प्राधिकारी, विशाखापट्टनम** को प्रस्तुत कर सकते हैं। |

ii. आवेदन :

क. विदेश व्यापार महानिदेशालय की विदेश व्यापार नीति, 2015–20 के एएनएफ–2 ड के अनुसार खांड के आयात के लिए खांड के इच्छुक मिल मालिकों/परिशोधन करने वालों (खांड से सफेद चीनी/रिफाइंड चीनी में परिवर्तित करने की अपनी परिशोधन/प्रोसेसिंग क्षमता वाले) से आनलाइन आवेदन sugarimporttrq-dgft@nic.in पर क्षेत्रीय प्राधिकारी, नामतः चेन्नई, बेंगलुरु और विशाखापट्टनम को प्रतिलिपि के साथ आमंत्रित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, आवेदन की हस्ताक्षरित प्रतिलिपि संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी और विदेश व्यापार महानिदेशालय, मुख्यालय (आयात प्रकोष्ठ) उद्योग भवन, नई दिल्ली को भेजनी होगी। इन आवेदनों के लिए आवेदन–शुल्क का भुगतान परिशिष्ट एवं आयात निर्यात प्रपत्र के परिशिष्ट 2 ट में दी गई प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। प्रत्येक शोधन/प्रोसेसिंग इकाई हेतु आवेदकों को डीआईपीपी द्वारा जारी नवीनतम आईईएम की स्वप्रमाणित प्रति प्रदान करते समय अपनी शोधन प्रोसेसिंग क्षमता की स्वघोषणा और/अथवा अपनी शोधन/प्रोसेसिंग क्षमता इंगित करते हुए कोई अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।

ख. इस अधिसूचना के तहत आयात करने के इच्छुक आवेदकों को अपने आवेदन में अधिसूचना सं० 1 दिनांक, 5 अप्रैल, 2017 के प्रत्युत्तर में आवेदित मात्रा; आबंटित मात्रा तथा आबंटित कोटा के तहत आवेदक फर्म द्वारा किए गए कुल आयात को दर्शाना होगा।

ग. आवेदन 8 सितम्बर से 12 सितम्बर, 2017 (5 बजे शाम तक) (5 दिवस) के बीच प्राप्त किए जाएंगे। प्रत्येक पात्र आवेदक हेतु कोटे के आवंटन को प्रक्रिया पुस्तक 2015–20 के पैरा 2.51 के तहत ईएफसी के निर्णय के अनुसार 13 सितम्बर, 2017 को अधिसूचित किया जाएगा। ईएफसी, आवेदनों पर विचार करते समय अन्य बातों के साथ–साथ आवेदक की मासिक शोधन/ प्रोसेसिंग क्षमता, आवेदक द्वारा आवेदित मात्रा तथा अधिसूचना के तहत प्राप्त आवेदनों की कुल संख्या जैसे कारकों पर विचार करेगा। समिति द्वारा पिछले उपयोग के रिकार्ड पर भी विचार किया जाएगा। क्षेत्रीय प्राधिकारी ईएफसी के निर्णय के अनुसार लाइसेंस/लाइसेंसों को जारी करेगा।

घ. आयातक अपना आयात कोटा प्राप्त करने के 10 दिनों के भीतर sugarimporttrq-dgft@nic.in. पर संबंधित आरए को साख पत्र/पुष्टि अनुबंध का विवरण भेजेगा। इस ई–मेल के विषय शीर्ष में "आवेदक का नाम/आईई कोड/आवेदन में उल्लिखित मात्रा मीट्रिक टन में/आरए का नाम जिसे आवेदन किया जा रहा है, का उल्लेख किया जाएगा। इसका अनुपालन न करने पर इस अधिसूचना के पैरा (iv) के अनुसार जुर्माना लगेगा और आवेदन स्वतः रद्द हो जाएगा।

ड. अप्रतिसंहरणीय साख पत्र प्रस्तुत करने के बाद आयातक लाइसेंस जारी होने की तारीख के 60 दिनों के भीतर आवेदक फर्म को यथा आबंटित खांड की सम्पूर्ण मात्रा का आगे आयात करेगा।

च. 30 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 68/2017 सीमाशुल्क (एन.टी.) के अनुसार वास्तविक प्रयोक्ता शर्त इस टीआरक्यू स्कीम के तहत आयात पर लागू होगी और आयातक प्रविष्टि बिल या भीतर प्रवेश की तारीख से अधिकतम 30 दिनों के भीतर जो भी बाद में हो, की अवधि में खांड को सफेद/रिफाइंड चीनी में परिवर्तित करेगा।

iii. **कोटे की वैधता** : – इस अधिसूचना के अंतर्गत टीआरक्यू लाभ (25% सीमाशुल्क प्रशुल्क) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 15 के अनुसार लाइसेंस जारी होने की तारीख से 60 (साठ) दिनों तक उपलब्ध होगा।

iv. **जुर्माना**:– टीआरक्यू के तहत लाइसेंस प्राप्त करने के पश्चात् यदि आवेदक कोटे का पूर्णतः/आंशिक रुप से उपयोग करने में समर्थ नहीं होता है तो आवेदक 25 सितम्बर, 2017 तक sugarimporttrq-dgft@nic.in. पर डीजीएफटी को अप्रयुक्त मात्रा का अभ्यर्पण करेगा। ऐसे मामले में आवेदक अप्रयुक्त कोटे की सीआईएफ मूल्य की 0.5 प्रतिशत राशि के जुर्माने का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। अप्रयुक्त मात्रा की सूचना न देने पर 0.5 प्रतिशत जुर्माने के अतिरिक्त समय–समय पर यथासंशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1992 के तहत उस पर आगे दंडात्मक कार्रवाई होगी।

v. **रिपोर्टिंग**:– लाइसेंस धारक sugarimporttrq-dgft@nic.in.; cdsugar.fpd@nic.in; और अपने क्षेत्राधिकारी क्षेत्रीय प्राधिकारी को साप्ताहिक (प्रत्येक सोमवार) विवरण प्रस्तुत करेगा जिसमें भारतीय पत्तनों पर पोतलदानों के वास्तविक आगमन का उल्लेख होगा।

vi. **पुनः आबंटन** :– अभ्यर्पित अथवा निरस्त कोटे, यदि कोई हो, को अन्य पात्र आवेदकों को **एक सप्ताह** के अंदर आवंटित किया जाएगा।

vii. डीजीएफटी के पास किसी भी समय आवटंन में कोई परिवर्तन जैसा कि उचित समझा जाए, करने का अधिकार सुरक्षित है।

**इस अधिसूचना का प्रभावः**— आईटीसी (एचएस), 2017—अनुसूची—1 (आयात नीति) के अध्याय 17 के एक्जिम कोड 170114 के अंतर्गत 3 लाख मिट्रिक टन खांड का आयात टीआरक्यू के तहत 25% सीमा शुल्क की दर पर अनुमत किया जाता है।

(आलोक वर्धन चतुर्वेदी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार

फा० सं० 01/89/180/विविध—13/एएम—07/पीसी 2 (क) से जारी